राजस्थान – सरकार

किसान जीवन कल्याण योजना 2011–12

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
(साधारण बीमा निधि),
राजस्थान, जयपुर

किसान जीवन कल्याण योजना

"किसान जीवन कल्याण योजना" में राज्य के कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय, गांव से मण्डी तथा विक्रय करन के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड/निदेशालय द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिये सहायता प्रदान की जाती है।

<u>किसान जीवन कल्याण योजना के लाभ –</u>

1. दिनांक 1.4.2010 से लागू होगी।
2. पॉलिसी का लाभ राज्य के कृषकों/खेतिहर मजदूरों को प्राप्त होगा।
3. कृषकों/खेतिहर मजदूरों द्वारा कृशि कार्य में कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए (जिसमें खेती से संबंधित सिंचाई कार्य भी भाामिल है) दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
4. सिंचाई कार्य हेतु कुआं खादते समय, ट्यूबवेल स्थापित करते समय एवं ट्यूबवेल संचालित करते समय बिजली करण्ट लगने तथा खेत में गुजरने वाली विद्युत लाईन के क्षतिग्रस्त होने से मृत्यु या अंग भंग होने पर।
5. कृषकों द्वारा खेतों में फसलों, फल सब्जियों पर रसायनिक दवाईयों आदि का छिड़काव करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर।
6. मुख्य मण्डी यार्ड, उप मण्डी यार्ड व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोशित क्रय केन्द्रों पर कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
7. मण्डी में बोरियों की धांग लगाते समय मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
8. मण्डी प्रांगण में ट्रेक्टर, ट्रॉली, उंट लड्ढा, बैलगाड़ी, भैसागाड़ी आदि उलट जाने पर दुर्घटना में का तकार की मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
9. मण्डी प्रांगण में कार्यरत पल्लेदार/हमला/मजदूर की मण्डी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
10. अपने अथवा किराये के साधन जिसमें का तकार स्वयं हो, मण्डी में कृषि उपज लाते समय रास्ते में हुई दुर्घटना में अंग–भंग या मृत्यु होने पर अथवा कृशि उपज बेचकर अपने या किराये के साधन से गांव लौटते समय (अगले दिन तक) में हुई दुर्घटना में अंग–भंग या मृत्यु होने पर।
11. काश्तकार/खेतीहर मजदूर के कृषि प्रयोजनार्थ ट्रैक्टर, बैलगाड़ी/ऊंट गाड़ी आदि से घर से खेत में जाते/आते समय दुर्घटना होने पर मृत्यु या अंग भंग होने पर।
12. राज्य में कुट्टी काटने की मशीन अथवा कृषि संयंत्रों से कृषक/मजदूर पुरूशों, महिलाओं के केश मशीन में आने से हुई दुर्घटना (डीस्केल्पिंग) पर।
13. कृषकों/खेतिहर मजदूरों के खेत पर कार्य करते हुए सांप या जहरीले जानवर के काटने/ऊंट के काटने पर मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
14. कृषि कार्य करते हुए आका ीय बिजली गिरने पर मृत्यु या अंग भंग होने पर।
15. कृषि/कृषि विपणन कार्य करते समय रीढ़ की हड्डी टूट जाने पर दो अंगों की क्षति के समान मानते हुए मुआवजा राशि देय होगी।(राज्य सरकार का आदेश पं.4(78) कृ शि/ग्रुप–2/2002 दिनांक 3.8.2005 के द्वारा जोड़ा गया।)
16. कृषि/कृषि विपणन कार्य करते समय सिर में चोट लगने से कोमा में जाने पर इसे दो अंगों के स्थायी रूप अंग–भंग होने के समान क्षति मानते हुए सहायता राशि देय(राज्य सरकार का आदेश पं.4(78) कृशि/ग्रुप–2/2002 दिनांक 15.10.2005 के द्वारा जोड़ा गया)।
17. कृषि सुरक्षा, पशु चराई हेतु पेड़ों की छंगाई, कृशि की रखवाली करते हुए भी यदि कोई दुर्घटना होती है तो किसान जीवन कल्याण योजना में सहायता देय होगी।(राज्य सरकार का आदेश पं.4(78) कृषि–2/ग्रुप–2/2002 पार्ट दिनांक 7.3.2007 के द्वारा जोड़ा गया।

निम्नलिखित कारणों से होने वाली मृत्यु यथा बीमारी इत्यादि सम्मिलित नहीं है।

1. आत्म हत्या, पागलपन अथवा कृषक द्वारा नशीले द्रव्य लेने से होने वाली मृत्यु।
2. चिकित्सा अथवा भाल्य–क्रिया के दौरान होने वाली मृत्यु।
3. 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को योजना में शामिल नहीं माना जायेगा।
4. बाल मजदूरी निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत 14 वर्ष तक के बच्चे को शामिल नहीं माना जायेगा।
5. मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रकरण योजना में शामिल नहीं किया जायेगा।
6. गर्भ धारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु।
7. यदि दुर्घटना तिथि एवं मृत्यु तिथि में 90 दिन से अधिक का अन्तर होगा तो प्रकरण दुर्घटनावश नहीं माना जायेगा।
8. जहरीले कीड़े, जानवर के काटने पर एवं पानी में डूबने से हुई मृत्यु में प्रथम सूचना रिपोर्ट व शव परिक्षण रिपोर्ट का होना आवश्यक होगा।
9. नाभिकीय विकिरण अथवा परमाणविक अस्त्रों से होने वाली मृत्यु।
10. युद्ध, विदशी आक्रमण, विदेशी भात्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देश द्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से होने वाली मृत्यु।
11. ऋणी सदस्य द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा स्थापित कानून का उल्लंघन करते समय हुई मृत्यु।

3. <u>सहायता राशिः–</u>

	(राशि रूपयों में)
1. मृत्यु होने पर आश्रित को	100000/–
2. दो अंगो के क्षतिग्रस्त होने पर (28.4.07 से सं ोधित)	50000/–
3. रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर पर चोट से कोमा में जाने पर	40000/–
4. पुरूष अथवा महिला के सम्पूर्ण सिर के केश (बालों) की डी स्केल्पिंग होने पर	40000/–
5. पुरूष अथवा महिला के सिर के बालों के आंशिक (छोटे भाग की) स्केल्पिंग होने पर	25000/–
6. एक अंग जैसे एक हाथ, पैर, आंख, पंजा, बांह आदि के अंग–भंग होने पर	25000/–
7. चार अंगुली कटने पर (पूर्ण रूप से या हिस्से में)	15000/–
8. तीन अंगुली कटने पर	10000/–
9. दो अंगुली कटने पर	10000/–
10. एक अंगुंली कटने पर	5000/–

4. <u>सहायता राशि स्वीकृति हेतु समितिः–</u>

निम्न अधिकारियों की एक समिति सहायता राशि स्वीकृति करने हेतु उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेगीः–

1. अध्यक्ष, संबंधित मण्डी समिति(24.8.06 के द्वारा संशोधित)	अध्यक्ष
2. जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि	सदस्य
3. उप निदेशक/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
4. मण्डी समिति का सचिव	सदस्य सचिव

प्रशासक भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होने की स्थिति में उक्त समिति में जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं होगी।

5. दावों के निपटारे की प्रक्रिया एवं समयावधिः

दुर्घटनाग्रस्त काश्तकार/खेतीहर मजदूर या उसके वैद्य उत्तराधिकारी को दुर्घटना होने के छः माह के अन्दर क्षेत्र की मण्डी समिति को निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र देना होगा तथा इसका मण्डी समिति यह सुनिश्चिय करेगी की आवेदन पत्र में दर्शाई गई दुर्घटना में हुई मृत्यु या अंग–भंग की घटना कृशि कार्य करते हुए ही हुई है। समिति द्वारा सहायता राशि स्वीकृति के दावे का निर्णय एक माह में करना होगा।

उक्त प्रकरण छः माह पश्चात् प्राप्त होता है, तो विलम्ब का कारण दर्शाते हुए मण्डी सचिव आवेदन पत्र के निर्धारित प्रपत्रों की पूर्ति करवा कर उक्त समय सीमा में शिथिलता की स्वीकृति हेतु बोर्ड को भेजेगें। यह सीमा विशेष परिस्थिति में तीन माह तक प्रशासक, कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बढ़ाई जा सकती है। दुर्घटना के नौ माह पश्चात् सहायता राशि हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का दावा स्वीकार योग्य नहीं होगा।

राज्य की किसी भी मण्डी समिति में अपनी उपज बेचने जाते/बेच कर लौटते समय दुर्घटना पर सहायता राशि उसी मण्डी समिति द्वारा दी जाएगी, जिस मण्डी समिति में उपज बेची गई है। चाहे दुर्घटना उस मण्डी समिति क्षेत्र से बाहर ही हुई हो।

पैरा 2 के बिन्दू संख्या 4,5,6 एवं 7 (मण्डी प्रांगण की दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर) की परिस्थितियों में संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन मे दर्ज कराई–गई रिपोर्ट एवं पुलिस के पंचनामें/पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।

पैरा 2 के बिन्दू संख्या 1,2,8,9,11 एवं 12 की परिस्थितियों में सामान्यतः दुर्घटना की संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई रिपोर्ट एवं पुलिस के पंचनामें/पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सहायता राशि स्वीकृत की जानी चाहिए। परन्तु किन्हीं परिस्थितिवश दुर्घटना की संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाना अथवा पोस्टमार्टम संभव नहीं होने पर पंचनामें के आधार पर सहायता राशि स्वीकृत की जा सकेगी। ऐसे पंचनामे पर स्थानीय जिला परिशद सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/सरपंच/पंच/विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा उस विद्यालय का कोई अध्यापक, जो वहां निवास करता हो/पटवारी/ग्रामसेवक/कृशि पर्यवेक्षक/ए.एन.एम./राजीव गांधी पाठशाला का अध्यापक/स्थानीय राजकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी में से कोई तीन, जिसमें सरपंच एवं एक राज्य कर्मचारी का होना अनिवार्य होगा। पंचनामे में उक्त के अलावा दो स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिकों के हस्ताक्षर करवाने होगें।

पैरा 2 के बिन्दू संख्या 3 में वर्णित दुर्घटना की स्थिति एवं बिन्दू संख्या 13 की सांप काटने की परिस्थिति में स्थानीय राजकीय चिकित्सक अथवा योग्यताधारी निजी चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी, जिसमें मृत्यु का कारण स्पष्टतः अंकित हो, पंचनामे के अतिरिक्त आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

उक्त वर्णित दुर्घटना में जहां अंग–भंग हो जाता है, वहां ऐसे का तकार/खतीहर मजदूर द्वारा स्थानीय राजकीय चिकित्सालय या निजी चिकित्सालय जहां से भी इलाज करवाया गया है, उस चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र व इलाज की पर्ची व दवाईयों आदि के बिल आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

स्कैल्पिंग की दुर्घटना में यदि राजकीय अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है, तो इलाज कर संबंधित डॉक्टर की रिपोर्ट पर देय राशि का 50 प्रतिशत का भुगतान दुर्घटनाग्रस्त को सरकारी अस्पताल को ही मण्डी सचिव द्वारा किया जाएगा तथा भोश 50 प्रतिशत राशि का भुगतान सहायता राशि हेतु गठित समिति के अनुमोदन के पश्चात् मण्डी समिति द्वारा किया जाएगा। यदि डी. स्कैल्पिंग का इलाज निजी चिकित्सालय में करवाया जा रहा है, तो देय राशि का भुगतान समिति के अनुमोदन के पश्चात् मण्डी समिति द्वारा एक मुश्त किया जाएगा।

6. सहायता राशि का भुगतानः–

समिति के निर्णय के पश्चात् संबंधित मण्डी समिति के सचिव द्वारा वैद्य दावेदार को 15 दिन में रेखांकित चैंक/ड्राफ्ट द्वारा दो व्यक्तियों के सामने किया जाएगा, जिनका सत्यापन दावेदार द्वारा की गई रसीद पर भी होगा।

सहायता राशि का भुगतान मण्डी स्तर पर गठित सहायता समिति द्वारा दस्तावेजों के परीक्षणोपरान्त संबंधित सचिव मण्डी द्वारा किया जाएगा।

काश्तकार के कृषि उपज विक्रय हेतु मण्डी में लाते/लौटते समय, सर्प के डसने से, बिजली करंट, विद्युत लाईन के क्षतिग्रस्त होने तथा आकाशीय बिजली से दुर्घटना/मृत्यु होने पर प्रकरणों की जांच मण्डी सचिव संबंधित गांव में जाकर स्वयं करेगें। इसके अलावा भी यदि किसी प्रकरण में संशय हो, तो उसकी भी जांच संबंधित गांव में जाकर मण्डी समिति द्वारा स्वयं की जाए। समिति के समक्ष प्रस्तुत मामले में स्थिति अस्पष्ट होने से प्रकरण निर्णित नहीं हो पाने पर समिति की इस बैठक के 15 दिन में ऐसे प्रकरण को कृषि विपणन निदेशालय को मार्गदर्शन एवं निर्णयार्थ स्पष्ट बिन्दुओं को अंकित करते हुऐ आवश्यक रूप से भेजा जाएगा। इस योजना का संचालन कृषि विपणन निदेशालय द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से किया जायेगा। योजना के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिती को किये जाने वाले दावों का पुर्नभरण हेतु कृशि विपणन बोर्ड/निदेशालय द्वारा राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग, जयपुर के माध्यम से MOU को संशोधित योजना के अनुरूप किया जायेगा। जिसकी प्रीमियम राशि का भुगतान राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

संशोधित योजना के तहत बढ़ी हुई सहायता राशि 9.12.2009 को या उसके पश्चात् घटित होने वाली दुर्घटना के प्रकरणों में देय होगी।

8.12.2009 तक घटित दुर्घटनाओं के प्रकरणों में पूर्व में देय राशि के अनुसार सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा। अतः समस्त सचिव कृषि उपज मण्डी समितियों को निर्देशित किया जावे कि वे दिनांक 8.12.2009 के या उसके पूर्व के एवं 8.12.2009 के पश्चात् के प्रकरण सहायता राशि के पुर्नभरण हेतु पृथक–पृथक भिजवाना प्रस्तुत करें।

7. दावा राशि का पुर्नभरण

पालिसी के विरूद्ध कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा किये गये भुगतान का पुनर्भरण भुगतान राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को किया जावेगा।

FILE : D:\KISAN_JIWAN\KISAN_YOJNA10